# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 72/2012 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2012/00110

1. मनोहरी देवी पत्नी
2. भंवरी देवी पुत्री
3. धापू देवी पुत्री
4. रूघाराम पुत्र
5. भगवानाराम पुत्र

} स्व. धर्माराम अकवाम जाट (गोदारा) निवासीगण अक्कासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. रामेश्वर पुत्र स्व ग्यानारामजी जाति जाट निवासी अक्कासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

2. जीयां देवी पुत्र
3. अणदाराम पुत्र
4. मोहनराम पुत्र
5. ठाकरराम पुत्र
6. कालूराम पुत्र
7. पूनमचन्द पुत्र

} स्व. गणेशाराम जाति जाट (गोदारा) निवासी अक्कासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

8. ओमप्रकाश पुत्र

9/1 गायत्री देवी पत्नी स्व. चेतनराम जाति जाट (गोदारा) निवासी अक्कासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

9/2 रवीना पुत्री स्व चेतनराम जाति जाट (गोदारा) निवासी अक्कासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

9/3 शौरभ पुत्र स्व चेतनराम जाति जाट (गोदारा) निवासी अक्कासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

10 मांगी देवी पत्नी बुलाकीराम जाति जाट (जॉगु) निवासी पारीक चौक बीकानेर।

11 श्रीमती रूकमा पत्नी लूणाराम जाति जाट (कूकणा) निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

12 श्रीमती पुष्पा पत्नी मंशाराम जाति जाट (कूकणा) निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

13 स्टेट ऑफ राजस्थान।

**– रेस्पोन्डेंट्स**

**उपस्थितः** श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट
श्री विनोद कुमार पुरोहित — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 11

## निर्णय

**दिनांक 10.03.2026**

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर के निर्णय दिनांक 17.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि मौजाराही अक्कासर के खसरा नंबर 581 तादादी 6.84 हैक्टयर, खसरा नंबर 633 तादादी 12.39 हैक्टयर, खसरा नंबर 643 तादादी 2.28 हैक्टयर, खसरा नंबर 581/1 तादादी 9.85 हैक्टयर, खसरा नंबर 643/1 तादादी 14.67 हैक्टयर कुल तादादी 46.03 हैक्टयर भूमि अपीलांट के ससुर एवं दादा की खातेदारी भूमि थी। अपीलांट्स के पति एवं दादा धर्माराम द्वारा तत्कालिन उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) बीकानेर के समक्ष नायब तहसीलदार कोलायत के इंतकाल संख्या 624 दिनांक 27.09.1996 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। अपीलांट्स के पति एवं पिता धर्माराम का देहान्त दिनांक 12.08.2007 को हो गया। तत्कालीन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उत्तर ने पत्रावली को अदम पैरवी अदम हाजरी खारिज कर दिया। तत्कालीन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उत्तर के अदम पैरवी अदम हाजरी खारिज के विरूद्ध अपीलांट्स नेतत्कालीन क्षेत्राधिकारी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष रेस्टोर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत ने उक्त रेस्टोर प्रार्थना–पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के अपीलाधीन उक्त आदेश दिनांक 17.07.2012 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील में मुख्य आधार पत्रावली 1996 से

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2009 तक चली इतने लम्बे अंतराल तक कोई चाराजोही नही की गई। अब रेस्टोरशन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ है जो खुद अधिवक्ता व कानूनी प्रक्रिया में वाकिफ कतई अपीलांट के विरूद्ध मन बनाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट संख्या 5 सन 2012 में ही अधिवक्ता के रूप में इनरोल हुआ है। चूकि प्रकरण अपीलांट के पूर्वज स्व. धर्माराम स्वयं करते थे, इसलिए अपील की जानकारी परिवार के किसी सदस्य को नही थी। साथ ही क्षेत्राधिकार परिवर्तन भी देरी का कारण रहा। अपीलांट्स ने रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में जानबूझकर या लापरवाही से देरी नही की है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त कर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि तो अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर मिल सकेगा। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट अपनी बहस में कथन किया कि रेस्टोरशन प्रार्थना–पत्र धारा 65(2) के तहत प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थना–पत्र की निरस्ती पर धारा 77 बी के अनुसार अपील लाई नही करती है कतई अस्वीकार है। अपीलांट के प्रकरण से भिन्न तथ्य अंकित किये गये है। धारा 77 बी के अनुसार "form an order rejecting an application for revision of review" के विरूद्ध अपील डिबार की गई हैं। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो रिव्यू या रिवीजन नही है। इसलिए प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अपीलांट के प्रकरण पर लागू नही होता है। इसी नजीर के पैरा नंबर 4 वर्णित नजीर आरआरडी 1962 पेज 206 भी यह कहती है कि केस मेरिट पर तय किया जाना चाहिए। भू–राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी के रूप में कार्य करता करता हैं तथा नामांतरण की अपील लेड रिकॉर्ड से संबंधित कार्य है। इसलिए अपील क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत की गई हैं। जहां भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान न हो वहां व्यवहार संहिता के प्रावधान लागू किये गये है इसलिए आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के निरस्त होने पर अपील के प्रावधान सीपीसी में दिये गये है। जिसके तहत प्रथम अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में प्रस्तुत की गई है। सभी कार्यवाहीयां उपरोक्त अनुवानी कार्यवाही के पश्चात की कार्यवाही है, जिनका उपरोक्त अनुवानी अपील पर कोई विपरित प्रभाव नही रहेगा, साथ ही उपरोक्त अनुवानी अपील स्वीकार किये जाने से ही नामांतर की अपील पुनः नंबर पर दर्ज हो सकेगी। तत्पश्चात ही रेस्पोडेन्ट पैरा संख्या 6 व 7

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में अंकित आपतियों को उठाने का अधिकार रख सकते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 11 ने अपनी बहस में कथन किया है कि इंतकाल संख्या 624 दिनांक 27.09.1996 को निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की थी। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण उक्त अपील 21.08.2002 का उपखण्ड अधिकारी को स्थांतरित की गई। उक्त अपील 2009 में अदम हाजरी व अदम पेरवी में खारिज कर दी गई। उक्त खारिजी आदेश की रेस्टोरशन प्रार्थना पत्र 2012 में अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.07.2012 को खारिज कर दिया गया। कानूनन इस आदेश की अपील धारा 75 एलआर एक्ट में कवर नही होती हैं। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो आदेश अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में अपील को खारिज करने का दिया गया वह धारा 63 में किया गया है अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोलायत में जो रेस्टोशन का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया वह धारा 65(2) एलआर एक्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है तो उसकी अपील लाई नही करती। इस बिन्दु पर नजीरात आरआरडी 1978 पेज 476 पैरा 10 प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र जो धारा 65 (2) एल आर एक्ट का था जो खारिज किया था। निग्रय मे लैण्ड रिकॉर्ड के संबंध में कोई आदेश प्रदान नहीं किया गया है। केवल रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र को ही खारिज किया गया है। धारा 77 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट में अन विषयों को बताया गया है जिनमें अपील की जा सकती है। धारा 77 में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की अपील के प्रावधान नहीं है। उक्त विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य एक नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे में पक्षकारों के हितो का अन्तिम रूप से निपटारा होना है। इस बिन्दु पर नजीरात आरआरटी 2008(1) पेज नंबर 228 एवं आरआरडी 2005 पेज नंबर 637 प्रस्तुत है। कानूनन यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि नामांतरण की कार्यवाही एवं नामांतरकरण फिस्कल फ्रेसिडिंग्स की तारीफ आने के कारण उनमें होने वाली कार्यवाही से निपटारा नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में हय लिखा है कि पक्षकार चाहे तो नियमित वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकार प्राप्त कर सकते है। विवादित भूमि के संबंध मं अन्तिम निस्तारण जवाब तनकी साक्ष्य लेकर ही किया जा सकता है। जो केवल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नियमित राजस्व वाद में ही संभव हैं। जबकि अधिकारों का निस्तारण केवल राजस्व वाद से ही संभव है। इस कानूनी बिन्दू पर आरआरडी 1986 पेज 590, आरआरडी 2006 पेज 403, आरआरडी 1992 पेज 360 आरबीजे 2021 पेज 670 आरआरटी 2008 पार्ट 1 पेज 241 एवं आरबीजे 2022 पेज 370 प्रस्तुत किए। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टिांत, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अपीलांट्स के पति एवं दादा धर्माराम द्वारा तत्कालिन उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) बीकानेर के समक्ष नायब तहसीलदार कोलायत के इंतकाल संख्या 624 दिनांक 27.09.1996 के विरूद्ध अपील में तत्कालीन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उत्तर ने पत्रावली को अदम पैरवी अदम हाजरी खारिज कर दिया। तत्कालीन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उत्तर के अदम पैरवी अदम हाजरी खारिज के विरूद्ध अपीलांट्स ने क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष रेस्टोर का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत ने उक्त रेस्टोर प्रार्थना–पत्र को अपने आदेश दिनांक 17.07.2012 द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र धारा 65(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कें अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। जिसकी अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ना होकर माननीय राजस्व मंडल अजमेर को है। अतः उक्त अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ना होने के आधार पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर